प्रस्तावना

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क से प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, अधिकार और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 16 के अधीन की गई है।

यह प्रतिवेदन ''मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण'' पर अवधि 2006-07 से 2010-11 के लिए की गयी निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को दर्शाता है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण हमारे द्वारा चयनित ईकाईयों के नमूना अभिलेखों की वर्ष 2006-07 से 2009-10 के लिए सांख्यिकीय नमूना तकनीक पर आधारित लेखापरीक्षा तथा वर्ष 2009-10 से 2010-11 के अभिलेखों की नमूना जाँच एवं वर्ष